

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/19-20/II/7202

दिनांक: 17.09.2020

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित,

प्रमुख शासन सचिव
(कार्मिक) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020- आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी रहते स्थानान्तरण के संबंध में।

संदर्भ:- कार्मिक विभाग की आज्ञा क्रमांक प.1(1)कार्मिक/क-4/2020 जयपुर
दिनांक 17.09.2020

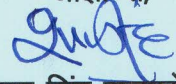
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 की घोषणा दिनांक 07.09.2020 को कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबन्ध प्रभावी हो गया है।

उक्त तथ्य का स्पष्ट अंकन आयोग के प्रेस-नोट में किया गया है, साथ ही आयोग के आदेश क्रमांक एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/II 6789 दिनांक 07.09.2020 द्वारा सभी विभागों को यह सूचित कर दिया गया कि विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और यदि ऐसी कोई परिस्थितिया उत्पन्न होती है जिनमें स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रस्ताव उन परिस्थितियों एवं आधार और औचित्य के साथ आयोग में भेजे जाये ताकि आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण की अनुमति दी जा सकें।

आयोग के संज्ञान में आया है कि संदर्भित पत्र में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद एवं श्री अरूण कुमार जैन का स्थानान्तरण आयोग की अनुमति/परामर्श के बिना किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आयोग के प्रख्यापित आदेश दिनांक 07.09.2020 का उल्लंघन है। पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़, अलवर में पंचायत चुनाव है जिसकी लोकसूचना दिनांक 16.09.2020 को कर दी गई है तथा प्रथम चरण के नामनिर्देशन पत्र दिनांक 19.09.2020 से प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरण पर श्री सुरेन्द्र प्रसाद, उपखण्ड अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः संदर्भित आज्ञा में क्र.सं. 1 पर दर्शित सुरेन्द्र प्रसाद उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, अलवर के स्थानान्तरण की क्रियान्विति पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक रोक लगाई जाती है।

आज्ञा से,

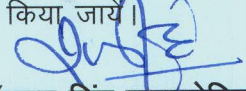

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/19-20/II/7203

दिनांक: 17.09.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, उपखण्ड अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया तक कार्यमुक्त नहीं किया जाये।


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव